

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम - बड़कोट, खैरौड़ा, हलना, नन्दगाँव, खरदी

तहसील - बड़कोट

जिला - उत्तरकाशी

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड बड़कोट में RoW permission for laying Optical Fiber From - Barkot Band - Janki Chatti - Yamunotri (Total Length 4.5 Km) तक मोटर मार्ग के किनारे ऑप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने हेतु अपेक्षित भूमि 0.498 है० वन भूमि में कार्य करने की अनुमति दिये जाने हेतु भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन किया गया है।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बड़कोट, खैरौड़ा, हलना, नन्दगाँव, खरदी द्वारा दिनांक को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई, यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी अथवा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण से आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा सर्वसम्मति द्वारा निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बड़कोट, खैरौड़ा, हलना, नन्दगाँव, खरदी के ग्रामवासियों को उक्त परियोजना के निर्माण हेतु अपेक्षित 0.498 है० वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यों हेतु Vindhya Telelinks Limited, EPC Division, Industrial Area, Mohali(Punjab) के पक्ष में कार्य करने की अनुमति दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

Nagar Palika Barkot

Madhu



श्रीमती मछिन्द्रा देवी
सदस्य
क्षेत्र पंचायत - नन्दगाँव
वि०स० नौगाँव (उ०का०)

